

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र. सं. पीसी-VI/ 361

आरबीई सं./5/2015

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2005/आरएस-34

नई दिल्ली, दिनांक 30.11.2015

महाप्रबंधक(पी)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि

विषय: 1-1-2014 से रनिंग कर्मचारियों को देय रनिंग रूम सुविधाओं के बदले भत्ता, शंटिंग
इयूटी भत्ता, ट्रिप भत्ता और वाणिज्यिक इयूटी भत्ता की दरों में संशोधन।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 1.10.2009 और 22.04.2014 का समसंख्यक पत्र ।

बोर्ड के दिनांक 22.04.2014 के समसंख्यक पत्र के अनुसार, रनिंग रूम सुविधाओं के बदले
भत्ता, शंटिंग इयूटी भत्ता, ट्रिप भत्ता और वाणिज्यिक इयूटी भत्ता की दरों, जिन्हें बोर्ड के दिनांक
1.10.2009 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-II/2005/आरएस-34 द्वारा निर्धारित किया गया था, में महंगाई
भत्ता की दर में 51% की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 01.01.2011 से 25 % की वृद्धि की गई थी।

2. 01.01.2014 से महंगाई भत्ते की दरों में 100% की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इस मामले
की जांच की गई है और बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रनिंग रूम सुविधाओं के बदले
भत्ता, शंटिंग इयूटी भत्ता, ट्रिप भत्ता और वाणिज्यिक इयूटी भत्ता की दरों में बोर्ड के दिनांक
01.10.2009 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-II/2005/आरएस-34 के तहत निर्धारित दरों में 01.01.2014 से
25% की और अधिक वृद्धि की जाएगी।

3. रनिंग रूम सुविधाओं के बदले भत्ता, शंटिंग इयूटी भत्ता, ट्रिप भत्ता और वाणिज्यिक इयूटी
भत्ता की स्वीकार्यता के लिए अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

प्रो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए)II,

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए) II-2005/आरएस-34

नई दिल्ली, दिनांक 30.11.2015

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

श्री. सलीम अहमद
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एंड ए) II-2005/आरएस-34

नई दिल्ली, दिनांक 30. 11.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
2. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ.
3. महानिदेशक, अ.अ. एवं मा. सं., लखनऊ.
4. निदेशक (क) ईरीन, नासिक, (ख) इरिसेन, पुणे, (ग) इरिमी, जमालपुर, (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद.
5. प्राचार्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
6. अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली.
7. अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नई.
8. अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली.
9. अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, कोलकता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और त्रिवेंद्रम.
10. महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद.
11. संपादक, भारतीय रेल कमरा नं. 469, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. संपादक, इंडियन रेलवे कमरा नं. 411, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. संपादक, रेल राजभाषा, कमरा नं. 543, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली.
15. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेल) कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।
16. निदेशक, कैमटैक/गवालियर.
17. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क) एमटीपी(आर), मुंबई (ख) एमटीपी (आर), चेन्नई.
18. मुख्य परियोजना प्रशासक का कार्यालय (दूरसंचार), इंडियन रेलवे सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकॉम कंसल्टेंसी, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली.
19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद.
20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मध्य रेलवे मुंबई।
21. निदेशक (संचलन) रेलें/कोलकता.
22. महासचिव, आईआरसीए, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कॉम्प्लेक्स, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली.
23. महाप्रबंधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/एफओआईएस कार्यालय, उत्तर रेलवे, क्रिस कैम्प चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
24. मैसर्स/बाहरी ब्रदर्स, लाजपत राय मार्केट/दिल्ली.

श्री. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए) II

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि को अग्रेषित:-

- 1) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 2) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 3) राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 4) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 5) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 6) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 7) सचिव, इण्डियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
- 8) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 9) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 10) सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 11) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप इम्प्लाइज एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 12) जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 13) जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव.



कृते सचिव, रेलवे बोर्ड